

1279

अरेराज / दिनांक 03.07.2021

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल अरेराज,

सेवा में

संबंधक
विजय गिरी

विषय :- MR 3054

Part-A पथ का अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

योजनामार्गत

गुर्जरवागिया गेला से कैशरिया

प्रमाण - SBD(PMGSY/MMGSY) कड़िका-52 / 3 तथा MBD के कड़िका-58 तथा 59

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल अरेराज अन्तर्गत आपको आवंटित पथ / पुल गुर्जरवागिया गेला से कैशरिया Part-A का निरीक्षण कर स्थल के मांग के अनुरूप अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अन्दर हर हाल में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे इस संदर्भ में पूर्व में भी मौखिक एवं दुरभाष पर अनुरक्षण कार्य ससमय करने हेतु निदेश दिया जाता रहा परन्तु आपके द्वारा वार्षिक अनुरक्षण कार्य में गंभीरता नहीं दिखाई गई। आपके स्वेच्छाचारिता के कारण सरकार द्वारा प्रदत्त राशि अपलब्ध कराने के बावजूद भी आम अवाम को कष्ट उठाना पर रहा है।

अतः तीन दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराते हुए आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे की अनेको बार मौखिक एवं दुरभाष पर निदेश के बावजूद अब तक अनुरक्षण कार्य क्यों न किया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त या अस्वीकार्यता की स्थिति में आपके एकरारनामा का विखंडन करते हुए आपके निबंध को काली सुची में डालने की कार्यवाई की जाएगी एवं आपके जमानत की राशी जब्त कर अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा।

इसे अति गंभीरता से लेंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल-अरेराज।

दिनांक-

03.07.2021

ज्ञापांक- 1279

प्रतिलिपि :- सभी सहायक अभियन्ता/सभी कनीय अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल-अरेराज।